

भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र / Raja Ramanna Centre for Advanced Technology  
सतर्कता अनुभाग / Vigilance Section

सन्दर्भ : 8/1/2020/सत/85

जनवरी 10, 2020

परिपत्र / Circular

**विषय:** अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (अं.स्वा.से.यो.) के सम्बन्ध में वर्ष 2020 हेतु घोषणा सम्बन्धी।

**Subject:** Declaration for the year 2020 in respect of CHSS facility reg.

परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/55/94/अं.स्वा.से.यो./आईआरएण्डडब्ल्यू/37 दिनांक 22 जनवरी 1998 के अनुच्छेद 4.2.1 तथा 4.2.2 के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के सदस्य प्रत्येक कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों की अं.स्वा.से.यो. की सुविधा को लगातार जारी रखने के उद्देश्य से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरम्भ में निर्धारित प्रपत्र में आय एवं निवास सम्बन्धी एक घोषणा भरकर सहायक कार्मिक अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, आरआरकेट को देना होगी।

In accordance with Para 4.2.1 and 4.2.2 of the DAE OM. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated Jan. 22, 1998 on the above subject, every official/retired official who is a member of DAE CHS Scheme has to make a declaration in the prescribed form and furnish the same to **Assistant Personnel Officer, (Vig), RRCAT** at the beginning of every calendar year for the purpose of continuation of CHSS facilities for members of family.

2. वे कर्मचारी, जिन्होंने अपने माता-पिता, सास-ससुर, आश्रित तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का नाम अं.स्वा. सेवा योजना में पंजीकृत करवा रखा है, उन्हें अपने घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख करना होगा तथा उसे सहायक कार्मिक अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, आरआरकेट को अपने मूल राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक पास-बुक तथा आश्रित बच्चों के जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र के साथ अं. स्वा. सेवा योजना कार्ड के पुनर्वैधीकरण हेतु देना होगा। घोषणा-पत्र का प्रपत्र आरआरकेट के इन्फोनेट (अंग्रेजी अनुवाद में दी गई लिंक पर) पर उपलब्ध है।

Employees who have registered their parents, parents-In-Laws dependents and children above 18 years of age are required to fill in the declaration form and submit the same to Assistant Personnel Officer, (Vigilance), RRCAT for revalidation of CHSS cards along with original Ration Card/Aadhaar Card/Election Identity Card/Passport/Bank Pass Book, issued by Nationalized Banks and date of birth documents. Declaration forms are available on **RRCAT infonet > CHSS > CHSS Forms > Declaration in respect of CHSS beneficiaries.**

3. अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड के पुनर्वैधीकरण से संबंधित कार्य सतर्कता अनुभाग में दिनांक 14-01-2020 से 28-01-2020 तक 10:00 बजे से 12:00 बजे तक निम्नलिखित सारणी के अनुसार किया जाएगा :-

**THE WORK RELATING TO REVALIDATION OF CHSS CARDS WILL BE DONE IN THE VIGILANCE SECTION FROM 14-01-2020 TO 28-01-2020 STRICTLY BETWEEN 10:00 AM TO 12:00 PM AS PER THE FOLLOWING SCHEDULE:-**

संसंस / C.C. No.	दिनांक / Date	संसंस / C.C. No.	दिनांक / Date	संसंस / C.C. No.	दिनांक / Date
01 - 200	14-01-2020	201 - 400	15-01-2020	401 - 600	16-01-2020
601 - 800	17-01-2020	801 - 1000	20-01-2020	1001 - 1200	21-01-2020
1201 - 1400	22-01-2020	1401 - 1600	22-01-2020	1601 - 1800	23-01-2020
1801 - 2000	24-01-2020	2001 एवं आगे/ and above	27-01-2020	स्कूल व डीपीएस स्टाफ / School & DPS Staff	28-01-2020

सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 14-01-2020 से 28-01-2020 तक अपने कार्डों का नवीनीकरण करवा सकते हैं। (शनिवार, रविवार एवं छुट्टी के दिनों को छोड़कर)

**Retired employees may renew their dependents CHSS Cards within the period from 14-01-2020 to 28-01-2020 (except Saturday, Sunday & Holidays)**

4. यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई घोषणा पूर्ण एवं सत्य हो। सतर्कता अनुभाग में दी जा रही इस सूचना की सत्यता की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मूल लाभार्थी की होगी।

It may please be ensured that the Declaration Form is completed in all respects. Responsibility for the correctness of information furnished to Vigilance Section will rest on the prime beneficiary.

5. कुछ विशिष्ट कारणों को, जैसे कर्मचारी का छुट्टी पर होना, दौरे पर होना, अस्थाई स्थानान्तरण आदि को छोड़कर, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड के पुनर्वैधीकरण हेतु निवेदन दिनांक 28-01-2020 के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन स्थितियों में पुनर्वैधीकरण का कार्य किसी भी कार्यदिवस में इनके द्वारा ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के एक सप्ताह के भीतर उनके वरिष्ठ अधिकारी (अनुभाग/विभाग प्रमुख) के द्वारा पुनर्वैधीकरण फॉर्म अग्रेषित करवाकर अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे के बीच किया जा सकता है। लाभार्थी जो अपने अं. स्वा. सेवा योजना कार्डों को उपर्युक्त समय-सारणी के अनुसार पुनर्वैध नहीं करवाते हैं, उन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में आरआरकेट के चिकित्सा केन्द्र तथा पैनल अस्पतालों को सूचित कर दिया जाएगा कि वे उनके मामलों पर विचार न करें।

Request for revalidation of CHSS cards after 14-01-2020 will not normally be entertained save for exceptional reasons like employees on leave, tour, temporary transfer etc. and in such cases, revalidation will be done between 2:00 PM to 4:00 PM on any working day within a week after they report for duty. In such cases, the revalidation form should be duly forwarded by their immediate superior (Section/Division Head).

6. कर्मचारियों से यह भी निवेदन है कि यदि उनके पुत्र-पुत्री, माता-पिता/सास-ससुर/आश्रित, जो चिकित्सीय लाभों के अपात्र हो चुके हैं, वे उनका अं. स्वा. सेवा योजना कार्ड वापस कर अं. स्वा. सेवा योजना से उनका नाम हटवा लें। निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले आश्रित अं. स्वा. सेवा योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं :-

The officials are also requested to return CHSS cards in respect of their sons/daughters, parents /parents-in-laws, dependents if they have become ineligible for the medical benefits of the Scheme to enable to delete their names from the CHS Scheme. The dependents coming under the following categories are not entitled for benefits under the CHS Scheme:-

- यदि लाभार्थी के पुत्र-पुत्री, माता-पिता, सास-ससुर/आश्रित, जो किसी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति में हो, तो वे अं. स्वा. सेवा योजना के लाभों को पाने के पात्र नहीं हैं, अथवा

Sons/Daughters/parents/parents-in-laws/dependents are not eligible for the benefits of the CHSS facility if they are gainfully employed/engaged in any trade, business, professions or

- वे पुत्र/पुत्री जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो या विवाहित हों, वे भी इस सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं

Sons/Daughters attaining the age above 25 years or married are not eligible for this facility.

- पुत्र/पुत्री जो प्रशिक्षण अवधि/अंशकालिक रोज़गार के दौरान वृत्तिका पर रहें हों, जिनकी आय ₹ 6000/- प्रति माह से अधिक हो, वे भी इस सुविधा के पात्र नहीं रहेंगे

Sons/daughters, who are in receipt of stipend during training period/part-time employment the income of which exceeds the limit of ₹ 6000.00 per month, will not be eligible for this facility.

- कर्मचारी के माता-पिता/सास-ससुर जिनकी पेंशन या राहत राशि समेकित रूप में ₹ 9000.00 प्रति माह तथा विचारण के दिन की महँगाई राहत से अधिक हो, उन्हें आश्रित नहीं माना जाएगा। माता-पिता/सास-ससुर के विषय में, उनकी पेंशन पास बुक/आय के प्रमाण, नवीनतम मूल दस्तावेज़ी प्रमाण-पत्र आदि, जैसे भी हों, दिनांक 31-12-2019 तक जारी किए हों, उन्हें सत्यापन हेतु सतर्कता अनुभाग में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड पुनर्वैधीकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे।

Parents/parents-in-laws of the employee whose pension and relief exceeds the consolidated amount of income limit of ₹ 9000.00 per month plus the amount of Dearness Relief (DR) as on the date of consideration cannot be treated as dependent. In respect of parents/parents-in-laws the latest original documentary evidence of pension pass book/Income proof etc. wherever applicable as on 31-12-2019 shall have to be produced to Vigilance Section for verification at the time of revalidation of CHSS Cards.

7. सभी कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आश्रित माता-पिता/सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में) को उस स्थिति में जहाँ वे पऊवि के दिनांक 28-12-2016 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा यथा अधिसूचित दस्तावेज़ों में से किसी एक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं पाते हैं तो वहाँ मुख्य लाभार्थी से वचन पत्र/हलफनामा के आधार पर सीएचएसएस सुविधा प्रदान की जाए। इस प्रकार के मामले में यदि किसी समय वचन-पत्र/हलफनामा ग़लत पाया जाता है तो मुख्य लाभार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और आश्रित की सीएचएसएस सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएँगी।

It is also informed that it has been decided by the Department to further extend CHSS facility to dependents parents/parents-in-law (in case of female employees) based on undertaking/affidavit from the prime beneficiary in situations where they are not able to produce in support of proof of residence any of the documents as notified vide DAE OM dated 28-12-2016. In such case, if at any time the undertaking/affidavit is found to be fictitious, disciplinary action is to be initiated against the prime beneficiary and the CHSS facilities of dependent will be terminated permanently with immediate effect.

8. इसके अतिरिक्त पञ्जवि ने यह भी निदेश दिया है कि मुख्य लाभार्थी को अपने माता-पिता, सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में) एवं 25 वर्ष से अधिक आयु की आश्रित अविवाहित पुत्री का आश्रित मापदण्ड स्थापित करने के लिए प्रमाण के रूप में फाइल किए गए आईटी रिटर्न की पावती आयकर विभाग से प्रस्तुत करनी होगी।


Further, it has been directed by DAE that for establishing the dependency criteria in respect of dependents parents/parents-in-law (in case of female employees) and dependents unmarried daughter beyond the age of 25 years, as a proof, acknowledgement from Income Tax Department of having filed the IT return should be submitted.

9. माता-पिता, सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में) का आश्रित मापदण्ड स्थापित करने के लिए प्रमाण के रूप में फाइल किए गए आईटी रिटर्न की पावती प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को इस वर्ष छूट देने के लिए सतर्कता अनुभाग द्वारा पञ्जवि से अनुमोदन माँगा गया है जिसका उत्तर पञ्जवि से अपेक्षित है। अतः माता-पिता, सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के सम्बन्ध में) को सीएचएसएस सुविधा का विस्तार पञ्जवि से इस सम्बन्ध में मिलने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

This Section has sought approval from DAE to requesting waving of the requirement of submission of ITR in respect of dependents parents/parents-in-law (in case of female employees) this year. The reply from DAE is awaited. Thus, necessary action to extend the CHSS facilities to dependents parents/parents-in-law (in case of female employees) will be taken in accordance with the directives to be received from DAE.

10. सभी कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए उपर्युक्त बातों का ध्यान रखें।  
All the working/ retired officials are requested to note the above for compliance.

- ❖ अपने परिवार के अं. स्वा. सेवा योजना के लाभार्थियों के रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो जमा नहीं करने वालों के कार्डों का पुनर्वैधीकरण नहीं किया जाएगा।
- ❖ **CHSS Cards will not be revalidated who have not submitted passport size colour photo in respect of their CHSS beneficiaries.**

  
(सन्तोष कुमार खरे/Santosh Kumar Khare)  
सहायक कार्मिक अधिकारी (सतर्कता)/Assistant Personnel Officer (Vigilance)

सभी सूचनापट्ट/All Notice Boards  
सभी को ई-मेल/Mail all